राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

-:अधिसूचना:-

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.12.2016 की क्रम संख्या 3 की कॉलम संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, बालोतरा को उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपने अपीलीय क्षेत्राधिकारिता में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर निम्नानुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करती है:-

क.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
3	विशिष्ठ न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बाडमेर	बाडमेर जिला (जिला न्यायालय, बालोतरा की क्षेत्रीय सीमा को छोडकर)
3a	जिला एवं सेंशन न्यायालय, बालोतरा	जिला न्यायालय, बालोतरा की क्षेत्रीय सीमा

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव 25/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, बाडमेर।
9. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, बालोतरा।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

25/6/18

संयुक्त शासन सचिव